Sem-3 GE/DSC & Sem 5 Hons CC-12

प्रधानमंत्री - Prime Minister

भारत में संपूर्ण प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। राष्ट्रपति के परामर्श एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन यदि किसी भी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है।

कार्यकाल - निश्चित नहीं। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, वह अपने पद पर बना रहता है। लेकिन समर्थन खोने पर उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है।

प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ -

1) मंत्रिपरिषद् का निर्माण PM द्वारा किया जाता है। वह मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को देता है और वह उन्हें पद की शपथ दिलाता है।
2) किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए यह निर्णय भी PM का ही होता है। अतः वह मंत्रियों के बीच विभागों का बँटवारा करता है।
3) मंत्रिपरिषद् का पुनर्गठन के अंतर्गत वह मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है। अथवा किसी मंत्री को मंत्रीपरिषद् से हटा सकता है।
4) मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के नाते वह बैठक की तिथि निर्धारित कर कार्यसूची बनाता है।
5) वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों से राष्ट्रपति को तथा राष्ट्रपति के विचारों से मंत्रिमंडल को अवगत कराता है।
6) सदन का नेता होने के कारण इसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कानून नहीं बन सकता। संसद में महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करता है।
7) महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जैसे - राज्यपाल, महान्यायवादी, चुनाव आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष आदि राष्ट्रपति PM की सिफारिश पर ही करता है।

प्रधानमंत्री की स्थिति - जब तक लोकसभा में स्पष्ट या 2/3 बहुमत प्राप्त हो, इसकी स्थिति मजबूत होती है। करिश्माई व्यक्तित्व होने पर जनता पर उसका काफी प्रभाव पड़ता है। लेकिन सहयोगियों (दलों) के समर्थन से सरकार बनने पर उसकी स्थिति नाजुक होती है।

-By Nisha Kongari
Political Science Dept.
ABM College, Jamshedpur